अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–14014/6/94-Estt(D) दिनांक 09/10/1998 औरकार्यालय ज्ञापन संख्या–14014/02/2012-Estt.(D)दिनांक 16/01/2013 के अन्तर्गत जारी अनुकम्पा नियुक्ति योजना में निहित प्रावधानों तथा समय– समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाती है।

2. अनुकम्पा नियुक्ति योजना के अन्तर्गत सेवा के दौरान मृत अथवा चिकित्सा आधार पर मेडिकल बोर्ड आउट हुए कार्मिकों के परिवार के केवल एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर 'ग्रुप 'सी' पद में नियुक्ति का प्रावधान है ताकि सरकारी सेवक की मृत्यु या चिकित्सा आधार पर बोर्ड आउट होने के परिणामस्वरूप उनके आश्रित परिवार को हुए वित्तीय अभाव/दरिद्रता की हालत में राहत देने के लिए तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

3. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 'आश्रित पारिवारिक सदस्य' से तात्पर्य है–

(1) पति या पत्नी
(2) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित)
(3) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)
(4) अविवाहित सरकारी कर्मचारी के मामले में भाई व बहन

} *जो मृतक अथवा मेडिकल बोर्ड आउट हुए बल सदस्य की मृत्यु अथवा मेडिकल बोर्ड आउट के समय उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहे हों।*

4. यदि मृतक या चिकित्सा आधार पर बोर्ड आउट हुए सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार का सदस्य अनुकंपा के आधार पर भर्ती होने के उपरान्त सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवा छोड़ देता है तो उस परिवार के अन्य किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर भर्ती करने का प्रावधान नहीं है।

5. भा.ति.सी. पुलिस बल में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए भी सीधी भर्ती के समान सभी पैरामीटरों को पूर्ण करना आवश्यक है। जहाँ तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए भर्ती पैरामीटरों में छूट का प्रश्न है, इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा यू0ओ0 संख्या–1–45020/3/2015–पर्स–2 दिनांक 30.04.2015 के अन्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा, ऊँचाई, छाती माप, वजन और शैक्षणिक स्तर में निम्नानुसार छूट का प्रावधान रखा गया है:–

पैरामीटर	ऊंचाई	छाती	आयु	वजन	शैक्षिक स्तर
अधिकतम छूट	7.5 से.मी.	बिना फुलाए 6 से.मी. फुलाने के बाद 5 से.मी.	15 वर्ष। विधवा के मामले में 40 वर्ष तक	जितना संभव हो	ऐसे उम्मीदवार जो भर्ती नियमों के अनुसार उस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, जिस पद पर अनुकंपा नियुक्ति की जानी है, को

					बिना ग्रेड वेतन 1S वेतन बैण्ड रूपये 4440–7440 की परिलब्धियों का भुगतान कर प्रशिक्षु के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को नियमित वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन तभी देय किया जाएगा, जब वे भर्ती नियमों के अनुसार उस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को 05 वर्ष के भीतर प्राप्त कर लेते हैं।

न्यूनतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु निर्धारण के लिए 'आवेदन की तिथि' को आधार माना जाता है।

6. अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन हेतु नियमित रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी ग्रुप 'सी' पद के लिए सीधी भर्ती कोटा से भरी जाने वाली रिक्तियों का अधिकतम 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है।

7. भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्ति के विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जाती है। अनुकंपा के आधार पर रिक्तियों की तुलना में आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में चयन लिखित और स्किल/ट्रेड परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है, इसलिए एक बार अनुकंपा भर्ती में मेरिट के आधार पर चयन न होने के कारण उम्मीदवारों को अगली अनुकंपा भर्ती में भर्ती प्रक्रिया की सभी इवेन्ट्स में भाग लेना अनिवार्य है।

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी सेवा में रखने की अनुमति दी जा सकती है।

9. लापता बल सदस्य का मामला भी निम्न शर्तों के अधीन अनुकंपा नियुक्ति योजना के अन्तर्गत आता है:–

(i) लापता बल सदस्य के गुम होने की तिथि के कम से कम 02 वर्ष के अन्तराल के बाद अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि–

(अ) इस आशय की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गयी हो।

(ब) लापता बल सदस्य मिल नहीं रहा हो।

(स) सक्षम अधिकारी को यह संज्ञान हो जाए कि मामला वास्तविक है।

(ii) अनुकंपा नियुक्ति का लाभ निम्नलिखित लापता बल सदस्यों के मामले में लागू नहीं होता है:–

(अ) ऐसे लापता बल सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति का समय गुम होने की तिथि से 02 वर्ष से कम शेष हो।

(ब) ऐसे लापता बल सदस्य जिन पर प्रतिबद्ध धोखाधड़ी का संदेह, या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने का संदेह, या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(iii) अन्य मामलों की ही तरह लापता बल सदस्य के मामले में भी अनुकंपा नियुक्ति को अधिकार न माना जाए और अनुकंपा नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता सहित अनुकंपा भर्ती योजना में निहित अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करने पर निर्भर करती है।

10. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने वाले आश्रित सदस्य को लिखित में यह घोषणा करनी होगी कि वह मृतक/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त/गुमशुदा सरकारी कर्मचारी/बल के सदस्य के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा/करेगी तथा यदि किसी समय यह सिद्ध हो जाता है कि वह अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा/रही है अथवा उनका समुचित भरण–पोषण नहीं कर रहा/रही है, तो अनुकंपा के आधार पर की गयी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

11. जब कोई व्यक्ति किसी विशेष पद में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हो जाता है तो वह परिस्थितियां जिनके कारण उसे अनुकंपा के आधार पर भर्ती किया गया है, का अस्तित्व समाप्त हो गया है, समझा जाना चाहिए। इसलिए उसके द्वारा अनुकंपा के आधार पर किसी अन्य उच्च पद में नियुक्ति हेतु अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

12. अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी नियुक्ति प्रस्ताव में दी गयी शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की, अनुशासनात्मक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का बिना पालन किए, कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

13. अनुकंपा के आधार पर भर्ती हेतु आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

(i) आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन (पार्ट 'ए' एवं पार्ट 'बी') –परिशिष्ट 'अ'।

(ii) मृतक/चिकित्सा बोर्ड आउट/लापता बल सदस्य के अन्य आश्रितों द्वारा भारतीय गैर–न्यायिक कागज पर इस आशय का शपथ पत्र कि उन्हें आवेदक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(iii) मृतक/चिकित्सा बोर्ड आउट/लापता बल सदस्य के उत्तराधिकारी को संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।

(iv) आवेदक को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप के अनुसार) जो कि जिलाधीश/जिलाधिकारी/उप मंडल अधिकारी, एस0डी0एम0 के पद से नीचे का अधिकारी न हो, से गोल मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(v) आवेदक द्वारा भारतीय गैर–न्यायिक कागज पर इस आशय का शपथ पत्र कि वह मृतक/चिकित्सा बोर्ड आउट/लापता बल के सदस्य के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करेगा/करेगी तथा यदि किसी समय यह सिद्ध हो जाता है कि वह अन्य आश्रित सदस्यों की उपेक्षा कर रहा/रही है अथवा उनका समुचित भरण–पोषण नहीं कर रहा/रही है तो अनुकंपा के आधार पर की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जाए।

(vi) संबंधित सिविल प्राधिकरण द्वारा जारी मृतक बल सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।

अथवा

चिकित्सा बोर्ड आउट हुए बल सदस्य के सेवामुक्ति प्रमाण पत्र की प्रति।

(vii) मृतक बल सदस्य की मृत्यु के समय संबंधित वाहिनी/कार्यालय द्वारा जारी की गयी शोक संवेदना की प्रति।

अथवा

चिकित्सा बोर्ड आउट हुए बल सदस्य के चिकित्सा बोर्ड आउट संबंधी आदेश की प्रति।

अथवा

लापता बल सदस्य के गुमशुदा होने की पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की प्रति।

(viii) लापता बल सदस्य के मामले में, संबंधित पुलिस प्राधिकार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि गुमशुदा बल सदस्य को ढूंढ़ने के हरसम्भव प्रयास किये जाने के बावजूद भी उसका कहीं पता नहीं चला है।

(ix) मृतक/चिकित्सा बोर्ड आउट/लापता बल सदस्य के उत्तराधिकारी को जारी किया गया पेंशन अदायगी आदेश की प्रति।

(x) आवेदक के जन्म प्रमाण एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियां।

(xi) आवेदक को संबंधित सिविल प्राधिकरण द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप के अनुसार –परिशिष्ट 'ब') की प्रति।

(xii) अविवाहित मृतक/चिकित्सा बोर्ड आउट/लापता बल सदस्य के मामले में आवेदक (भाई व बहन) द्वारा भारतीय गैर–न्यायिक कागज पर इस आशय का शपथ पत्र कि वह अविवाहित है।

(xiii) मृतक बल सदस्य की विधवा पत्नी द्वारा आवेदन की स्थिति में आवेदिका द्वारा भारतीय गैर–न्यायिक कागज पर इस आशय का शपथ पत्र कि उसने अपने पति (मृतक बल सदस्य) की मृत्यु के उपरान्त पुनः विवाह नहीं किया है।

(xiv) संबंधित सिविल प्राधिकरण द्वारा आवेदक को निर्गत स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।